(04)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1161—पीबीआर/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—01—1996 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 255/1992—93/अपील

.....

हरचरण पुत्र रामनाथ,
निवासी ग्राम घमसा,तहसील
गोहद, जिला—भिण्ड

.....आवेदक

विरूद्ध

1— रामनरेश पुत्र गुरूदयाल ब्रा0
जिला भिण्ड, म0प्र0
2—महिला रामकली बेवा सालिगराम,
निवासी ग्राम घमसा तहसील गोहद,
जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 1-8-2016 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 255/1992—93/अपील में पारित आदेश दिनांक 24—01—1996 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम धमसा में स्थित वादग्रस्त भूमि का विकय अनावेदकगण रामनरेश को विकय पत्र के माध्यम से किया। विकय पत्र के आधार पर रामनरेश ने नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। हरचरण ने दिनांक 22.08.89 को विचारण न्यायालय में आपित्त पस्तुत की, किन्तु आवेदक को सुने बिना विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक रामनरेश के हित में वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण करने के आदेश दिनांक

15.11.89 को पारित किये। उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर विचारण न्यायालय के अधीन भूल सुधार करते हुये दिनांक 03.02.92 से पूर्व पारित आदेश दिनांक 15.11.89 को निरस्त कर दिया गया । विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.92 के विरूद्ध अनावेदकगण ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद के यहॉ प्रथम अपील पेश की । जो प्रकरण 54/91–92/ अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 25.06.93 से अपील स्वीकार की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रकरण क्रमांक 255/92–93/अपील दर्ज किया गया तथा दिनांक 24.01.96 को आदेश पारित कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 24.01.96 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश कानूनन सही नहीं है। विशेषकर अपर आयुक्त का आदेश संशोधन किये जाने योग्य है, क्योंकि अपर आयुक्त ने प्रकरण की परिस्थितियों को विधिनुसार सही नहीं समझा । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अभिलेखों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई थी, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। यहॉ तक कि उसका अवलोकन भी नहीं किया गया। अन्यथा स्थिति भिन्न होती, प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था। अधीनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किये बिना आदेश पारित करने में भूल हुई है । वर्तमान प्रकरण में धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो आपत्तियां प्रारम्भिक न्यायालय में आवेदक की ओर से नहीं ली गई, उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भी नहीं उठाया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.96 निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु रखा जावे ।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये, तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने स्वयं का आदेश दिनांक 15.11.89 को, आदेश दिनांक 03.02.92 द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत निरस्त किया है । संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अर्न्तभूत शक्तियों का प्रयोग उसी हालत में किया जाना चाहिये, जबकि भूल सुधार करने के लिय अन्य प्रावधान न हो । चूँकि संहिता की धारा 51 के तहत न्यायालय द्वारा आदेश का पुरावलोकन किये जाने का उपबन्ध। अतः विचारण न्यायालय को पुनरावलोकन हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिये थी, जो विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । स्वयं के आदेश का पुनरावलोकन दूसरे पक्ष को सनुवाई का अवसर देने के पश्चात ही किया जाना चाहिये, किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना सोचे समझे एवं विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने कोई त्रुटि नहीं की है । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी इस आदेश की पुष्टि की है एवं प्रकरण में प्रत्यावर्तित का जो आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथ्यों में प्रकाश डालने के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहूँचा हूँ कि विचारण न्यायालय को संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार आदेश दिनांक 15.11.89 का पुनरावलोकन वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर और उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अतः विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है और दोनों अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद एवं न्यायालय अपर आयुक्त, मुरैना द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त कर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर